सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1) विभाग

क्रमांकः–प.3/8(1)कार्मिक/क–1/2012 जयपुर

::परिपत्र::

विषयः– अखिल भारतीय सेवाएं (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 के अनुरूप स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13.02.2020, 02.07.2021, 10.01.2022 एवं 03.02.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर लेख है कि अखिल भारतीय सेवाएं (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 के प्रावधानानुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक हैः–

(अ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण जिनकी आयु 1 अप्रैल को 40 वर्ष या उससे अधिक है।
(ब) भारतीय पुलिस सेवा के कार्यरत समस्त अधिकारीगण।
(स) भारतीय वन सेवा के कार्यरत समस्त अधिकारीगण।

अखिल भारतीय सेवाएं (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 के अंतर्गत यह एक स्थायी व्यवस्था है तथा उपर्युक्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रति वर्ष करवाया जाना आवश्यक है। संदर्भित परिपत्र दिनांक 10.01.2022 के द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निम्न राजकीय चिकित्सालयों को अधिकृत किया गया थाः–

1. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
2. जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर।
3. पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर।
4. एम.बी. अस्पताल, कोटा।
5. एम.जी. अस्पताल, जोधपुर।
6. एम.बी. अस्पताल, उदयपुर।

इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग से अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में **(संलग्न परिशिष्ट–1)** भी वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण (अखिल भारतीय सेवा के पुरूष अधिकारियों के लिए राशि रूपये 2,000/– एवं महिला अधिकारियों के लिए राशि रूपये 2,200/– की सीमा या वास्तविक व्यय जो भी कम हो) कराया जा सकता है।

अतः समस्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त चिकित्सालयों में अखिल भारतीय सेवाएं (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 के प्रावधानानुसार वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकते हैं।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की दिनांक 06.02.2024 की सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

नोटः– स्वास्थ्य संबंधी परीक्षणों/जांचों के लिए निर्धारित दिवस से एक दिवस पूर्व रात्रि में 09:30 बजे हल्के भोजन के पश्चात कुछ आहार नहीं लिया जावे तथा निर्धारित दिवस को प्रातःकाल First Urine का सैम्पल भी परीक्षण के लिए आवश्यक है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(कनिष्क कटारिया)
संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Kanishak Kataria
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.02.10 10:27:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
5551883

क्रमशः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारी (राजस्थान संवर्ग)।
3. संयुक्त शासन सचिव–II, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
6. अधीक्षक, जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर।
7. अधीक्षक, पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर।
8. अधीक्षक, एम.बी. अस्पताल, कोटा।
9. अधीक्षक, एम.जी. अस्पताल, जोधपुर।
10. अधीक्षक, एम.बी. अस्पताल, उदयपुर।
11. समस्त अनुबंधित अस्पताल।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
5551883

Signature valid
Digitally signed by Kanishak Kataria
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.02.10 10:27:32 IST
Reason: Approved